



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227549
CG-DL-E-12062021-227549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2113]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2273(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ क्र. (२) में दिये गये अधिकारियों को विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग में नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ क्र. (३) में विनिर्दिष्ट खंड तथा अधिसूची के स्तंभ क्र (४) से (७) तक नमूद किये गये संबंधित जिला, तहसील/तालुका पुलिस थाना व गाव, के लिये उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग सुरत - नाशिक - अहमदनगर - सोलापूर (कि.मी. 215.800 से कि.मी. 314.000) के लिये अहमदनगर जिले में भूमि का अर्जन ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	उप विभागीय अधिकारी शिर्डी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी. 244.5 से 249.2 तक	महाराष्ट्र	अहमदनगर	राहता	1	गोगलगांव
						2	हसनापूर
						3	चंद्रापूर
						4	दुर्गापुर
						5	हनमंतगांव

[फा. सं. NHAI/GreenField/LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2273(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in Column (2) of the scheduled annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to Districts , Taluka / Tahasil, Police station and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for building widening 4/6 laining, maintenance, management and Operation of National Highway in the State of Maharashtra.

SCHEDULE

Land acquisition for Surat - Nashik - Ahmednagar-Solapur Green Field National Highway in District Ahmednagar of Maharashtra State from Km. 215.800 to Km 314.000.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Divisional Officer Shirdi	244.5KM To 249.2KM	MAHARASHTRA	AHMEDNAGAR	Rahata		
						1	Gogalgaon
						2	Hasnapur
						3	Chandrapur
						4	Durgapur

						5	Hanmantgaon
--	--	--	--	--	--	---	-------------

[F. No. NHAI/GreenField/LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director